<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 22/2016 **दायर दिनांकः 20/01/2016**

उनवान

1. रामकरण आयु 40 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी खंडीला तहसील अटरू जिला बारां (मृतक)

1/1 गजेन्द्र कुमार आयु 25 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू

1/2 सुरेन्द्र कुमार आयु 23 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू

1/3 नरेन्द्र कुमार आयु 19 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू

1/4 मेना कुमारी आयु 21 वर्ष पुत्री रामकरण जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू

1/5 भूली बाई आयु 45 वर्ष बेवा रामकरण जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू

वादीगण

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू जिला बारां राज0।

1/1 जानकी लाल आयु 45 वर्ष छीतरलाल जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू।

1/2 नारायण आयु 42 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश दिनाकः 20/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 90, 188 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया गया था वाद पत्र के संक्षेप में तथ्यें इस प्रकार से है कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपील संख्या 221/2004 बउनवान छीतरलाल पुत्र भैरूलाल बनाम रामकरण मीणा बगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2007 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2004 को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड करते हुये निर्देश दिये गये कि पक्षकारों की पुन सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारों की सुनवाई की गई। वादी श्री रामकरण एवं प्रतिवादी छीतरलाल की मृत्यु होने से इनके वारिसान को कायम मुकाम बनाया गये है। वादीगण ने जर्ये वकील मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 राधाकिशन मीणा, पीडब्ल्यू–2 प्रभूलाल मीणा के बयान लेखबद्ध कराये गये है। वकील प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू–2 छोटूलाल एवं डीडब्ल्यू–3 बद्रीलाल के शपथ पत्र पेश किये है।

जिसका निर्णय दिनांक 13.08.2013 को वादीगण का वाद खारिज कर विवादित भूमि खडीला की किता 8 रकबा 1.41 है0 के आवंटन के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय में राज0 भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रकरण तैयार कर भिजवाये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय RAA कोटा के यहां अपील की गई, माननीय न्यायालय RAA कोटा ने निर्णय दिनांक 30.12.2015 से अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2013 को निरस्त कर पत्रावली इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि दावा व जवाब दावा के आधार पर कायम प्रत्येक वाद विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कार्ष पारित करते हुये पेरा नं0 12 से 14 में दिये गये दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पूर्व में तनकीयात कायम की जा चुकी है। जो शा0फा0 है। जो निम्न प्रकार है:–

1. **<u>तनकी नं0 1:</u>–** आया वादी स्वयं को वाद ग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है।

वादी

2. **<u>तनकी नं0 2:</u>–** आया वादी प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी

3. **<u>तनकी नं0 3</u>**:– आया वाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 1 को विधिवत आवंटित की गई है। तथा उसी का कब्जा चला आ रहा है।

(भा0स0 प्रतिवादी)

4. **तनकी नं0 4:–** अनुतोष।

साक्ष्यवादी/प्रतिवादी पेश नही कर सीधे ही बहस करना चाहते है। अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा गहनता से मनन किया।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

1. **<u>तनकी नं0 1</u>:–** आया वादी स्वयं को वाद ग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादीगण द्वारा विवादित भूमि ग्राम खुरी की भूमि पर साक्ष्य अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी का कब्जा होना बताया गया है। जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमियों पर अधिकांश समय तक तहसीलदार अटरू रिसीवर रहा था विवादग्रस्त भूमिया कब आवंटित हुयी थी आवंटन से सम्बन्धित रिकार्ड/दस्तावेज पेश नही किये गये जिस कारण वादीगण उक्त विवादित आराजी पर खातेदार कृषक घोषित कराने के अधिकारी नही है। तनकी नं0 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।
2. **<u>तनकी नं0 2</u>:–** आया वादी प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे वह प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा सके अतः तनकी नं0 2 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।
3. **<u>तनकी नं0 3</u>**:– आया वाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 1 को विधिवत आवंटित की गई है। तथा उसी का कब्जा चला आ रहा है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण द्वारा छीतरलाल पुत्र भैरू को उक्त विवादग्रस्त भूमियों कब आवंटित हुई थी आवंटन से सम्बन्धित रिकार्ड दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नही है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है या

नही कोई प्रमाणित दस्तावेज नही है। अतः तनकी नं0 3 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है। अनुतोष स्वीकार नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम खडीला पटवार मण्डल खुरी के खसरा नं0 80 रकबा 0.29 है0 ख0नं0 82 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 83 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 304 रकबा 0.46 है0 ख0नं0 37/432 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 84/459 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 86/460 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 87/461 रकबा 0.05 है0 कुल किता 8 रकबा 1.41 है0 के आवंटन के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रकरण तैयार कर भिजवाते हुये सिवायचक दर्ज करवायी जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 22/2016

उनवान

1. रामकरण आयु 40 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी खंडीला तहसील अटरू जिला बारां (मृतक)
1/1 गजेन्द्र कुमार आयु 25 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू
1/2 सुरेन्द्र कुमार आयु 23 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू
1/3 नरेन्द्र कुमार आयु 19 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू
1/4 मेना कुमारी आयु 21 वर्ष पुत्री रामकरण जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू
1/5 भूली बाई आयु 45 वर्ष बेवा रामकरण जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू

वादीगण

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू जिला बारां राज0।
1/1 जानकी लाल आयु 45 वर्ष छीतरलाल जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू।
1/2 नारायण आयु 42 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम खडीला पटवार मण्डल खुरी के खसरा नं0 80 रकबा 0.29 है0 ख0नं0 82 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 83 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 304 रकबा 0.46 है0 ख0नं0 37/432 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 84/459 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 86/460 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 87/461 रकबा 0.05 है0 कुल किता 8 रकबा 1.41 है0 के आवंटन के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रकरण तैयार कर भिजवाते हुये सिवायचक दर्ज करवायी जावें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 10:30:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: